

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-10वीं फरवरी 2022

सेवा में

P. Gaba,  
Medicant Hospital Research Centre Pvt. Ltd.  
Gurgaon,

विषय:- मौजा-Ukrid and Pipratnre, प्लॉट नं०-11/A-119/139, खाता नं०-1,15,17, वार्ड नं०-सेक्टर-12, थाना-37, 36. जिला-बोकारो प्रस्तावित Medicant Hospital Research Centre Pvt. Ltd अस्पताल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित Medicant Hospital Research Centre Pvt. Ltd. भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, बोकारो के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-38 दिनांक-08.02.2020 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त अस्पताल भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. अस्पताल परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 2,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अस्पताल में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओवरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डायामेटर का एक-एक बेट राईजर का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी० लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. अस्पताल परिसर के चारों तरफ रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 40 मीटर अथवा उससे अधिक भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
6. अस्पताल भवन के बेसमेन्ट एवं सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु किये जानेवाले पाईपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरस टैंक दोनों से रहे।
8. अस्पताल परिसर के पूरे भवन में एड्जेसेबल टाईप डिटेक्शन एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।
9. उपर्युक्त भवन के लॉबियों के कम से कम एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के०जी० से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
10. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय। पम्प हाउस में 2850 Lpm क्षमता वाला दो फायर पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। जिसमें सबसे ऊँचतम हाईड्रैण्ट पर भी कम से कम 3.5 kg /CM<sup>2</sup> दाब की क्षमता हो।
11. 900ली०/मि० क्षमता का एक-एक टेरस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
12. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।

13. पम्प हाउस में 180ली०/मि० क्षमता वाला दो अदद जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। जिसमें सबसे ऊँचतम हाईड्रैण्ट पर भी कम से कम 3.5 kg /CM<sup>2</sup> दाब की क्षमता हो।
14. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
15. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे। यह सभी फायर पम्प Deliveri Header से Inter Connected रहेंगे।
16. स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों में कम से कम दो घंटा अग्निरोधी स्वचालित फायर चेक डोर लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. अस्पताल भवन के बेसमेंट में किचन, ए०सी० प्लांट, बिजली का ट्रांसफर्मर जैसे पौजीटिव प्रेशर उत्पन्न करनेवाले किसी भी उपकरण का संस्थापन नहीं कराया जाय।
18. दो बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 1.25 मीटर, 3-5 बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई 1.50 मीटर एवं 5 से अधिक बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 2 मीटर अवश्य रखी जायेगी।
19. 100 वर्ग मीटर से अधिक एरिया वाले पेशेंट बेड रूम में कम से कम 2 दरवाजे दिये जाय।
20. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रेवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
21. अस्पताल भवन के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
22. अस्पताल भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसि इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।
23. अस्पताल भवन में प्रति 400 वर्गफीट के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 09 लीटर क्षमता का वाटर सी०ओ०टू० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
24. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
25. ओ०टी० रूम/लैब में 4.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद CO<sub>2</sub> अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
26. वैस्ट मैटेरियल के डिस्पोजल हेतु इन्सिनरेटर लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
27. अस्पताल भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
28. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद सी०ओ०टू० तथा 06 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
29. अस्पताल भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
30. अस्पताल भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
31. अस्पताल भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
32. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
33. अस्पताल भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
34. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.3 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, ou=GOVERNMENT OF JHARHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.20=de18d98a747613d2f4c40305001134ec2902b6b90be3cc4ec5f9db811f5467, postalCode=814002,  
st=Jharkhand, serialNumber=19585470ee67dbaf141b635068c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70,  
cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2022.02.10 19:10:18 +05'30'

(जगजीवन राम),

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।